

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवम जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

क्रमांक / न्यायिक / 2022 / 19855
प्रेषित:

दिनांक: 12/5/2023

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
नई दिल्ली

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा मूल प्रार्थना-पत्र संख्या 146/2023 कुन्दनसिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 13.03.2023 में जारी निर्देशो की पालना में रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।


संदर्भ: तहसीलदार जैसलमेर के पत्रांक 257 दिनांक 12.05.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13.03.2023 में जारी निर्देशो की पालना में संयुक्त समिति की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(टीना डाबी)

जिला कलक्टर

(नोडल एजेन्सी)

जैसलमेर

दिनांक: 12/5/2023

क्रमांक / न्यायिक / 2022 / 19860-62

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर
2. श्रीमान आयुक्त, पंत कृषि भवन, कृषि विभाग, जयपुर
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, वन विभाग, जयपुर


अति. जिला कलक्टर
जैसलमेर

कार्यालय तहसीलदार जैसलमेर
क्रमांक | रीडर | 2023 | 257 दिनांक 12/5/2023 **22**
प्रेषित:- श्रीमान् त्रिला कलेक्टर महोदय,
जैसलमेर

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली
द्वारा मूल प्रार्थना-पत्र सं० 146/2023
कुहनसिंह वनाभ सरकार में पारित अदेश
दिनांक 13.03.2023 में जारी निर्देशों की
पालना में रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।
प्रसंग:- श्रीमान् का फ़ॉक | ब्यापिड | विधि | 2023 | 19809
दिनांक 9/5/2023

महोदय,

उपरोक्त विधायतगत प्रासंगिक पत्र के क्रम
में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
नई दिल्ली के मूल प्रार्थना-पत्र सं० 146/2023 कुहनसिंह
वनाभ सरकार में पारित अदेश दिनांक 13.3.2023 में
जारी निर्देशों की पालना में रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत
4 सदस्यीय गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रार्थना-पत्र में
वर्णित ग्राम मीकवा के कुल 306 एकड़ नम्बरन कुल
रकबा 4340.624 हेक्टर अर्थात् 26803.35 बीघा भूमि
का संयुक्त मौका जांच संयुक्त फ़ै मोका अनुसार
पायी गयी। जोकि पर अक्त एकड़ नम्बरन में मरु-
स्थलीय वनस्पति तथा बोरडी के सघन वृक्ष जाल
खैरडी, कुम्भ, केर, खीप, गांजाणी, खैरा, घास
(कम मात्रा में) आदि मौजूद हैं। जोकि पर उपस्थित
ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर अक्त वर्णित भूमि
कई वर्षों से श्री ऊपरपेत्री मीकवा संसार के अधीन
के रूप में काम में आ रही है। स्वतंत्र
निवासीयों द्वारा मौजूद वृक्षों। झाड़ों की लकड़ बेत
की भूमि अधीन होने से कटवाई किये जाने पर
एतिया प्रतिबन्ध एवं पाबन्दी स्वेच्छा से लपारी
गयी है। अक्त वर्णित भूमियों पर मौजूद वनस्पतियाँ

पूर्ण रूप से सुरक्षित है। परिवारी स्वयं द्वारा
 मीठे पर बताया गया कि उक्त भूमि में कव्य
 जीव-जंतुओं पशु-पक्षियों को लोक देता कु
 भूमि होने से किसी प्रकार का खतरा नहीं है।
 शतिका सुरक्षित है। परिवारी द्वारा बताया गया कि
 उक्त वर्णित भूमि में कुल नौ (9) छोटे-बड़े
 तालाब मौजूद हैं जो पियजल स्रोत के रूप में
 उपयोग में आ रहा है। निरीक्षण के दौरान
 पाया गया कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी
 प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। जहाँ उक्त
 भूमि पर लगभग 20-25 पवन चक्कियाँ स्थापित
 हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 के आदेश दिनांक 31.05.2016 के अनुसार पवन चक्कियों
 की सफेद श्रेणी (White Category) में वर्गीकृत किया
 गया है जिन्हें राज्य मंडल से संचालन समिति
 की आवश्यकता नहीं है, केवल अग्रत कखाना होता है।

उक्त स्वतः के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की औद्योगिक
 गतिविधि खनन गतिविधि आदि नहीं पाये गये तथा
 प्राकृतिक वन्य क्षेत्र में भी किसी भी तरह का
 अक्रोध नहीं पाया गया है। मीठे पर किसी भी
 पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है।
 उक्त वर्णित भूमि में खेती राज्य भूमि है परन्तु
 चार्जिड आस्था के कारण किसानों द्वारा खेती नहीं
 की जा रही है। संकन सूची (परिशिष्ट-अ) में
 उल्लेखित समस्त स्वयंश नम्बरन की भूमि राजस्व
 रिकॉर्ड में बंजड, ई० मु० मगरा, बरानी, ई० मु० खेण
 घास, ई० मु० थानं व ई० मु० रास्ता यथा सूची दर्ज है।
 परिवारी द्वारा श्री कुन्दन सिंह द्वारा बताया गया कि
 उक्त वर्णित भूमि भविष्य में कृषि क्षेत्र की आवंटन
 नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड में आरण दर्ज किये जाने का
 निवेदन किया है ताकि भूमि कव्य जीवों एवं पशुओं हेतु
 सुरक्षित रह सके। मीठे के फोटोग्राफ्स 6.25 परिशिष्ट-अ
 में संलग्न हैं।

अतः श्री मीठे परिशिष्ट-अ व ब पत्र के संकन
 कर तथ्यात्मक जीव रिपोर्ट क्षीमावृत्ती की सेवा में सादर
 प्रेषित है। उपरोक्तानुसार
 अधिकारी
 सहस्रलदार

मौका फर्द

सरहद मोकला

11/05/2023

आज दिनांक 11/05/2023 को माननीय राष्ट्रीय हरित
अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-13/03/23
कुन्दन सिंह वर्गरेड बनाम राजस्थान सरकार में O.A. No-146/2023
की अनुपालना में, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर के पत्र क्रमांक : न्यायिक विधि /2023/19809 दिनांक
03/05/2023 की पालना में तहसीलदार, जैसलमेर, सहायक
वन संरक्षक (DNP) जैसलमेर, कृषि अधिकारी-कृषि विभाग,
जैसलमेर, तथा सहायक पर्यावरण अभियंता - रा.प्र.नि.म.
जोधपुर और कुन्दन सिंह स्वयं तथा गजिर मातविरान के
रुबड़ सलग्न सूची ग्राम मोकला के कुल खसरे 306
कुल रकबा 4340.624 हेक्टर (2680335 बीघा) भूमि
का मौका मुआयना लंब्युक्त रूप से किया गया जिसमें
निम्न तथ्य पाये गये।

1. मौके पर उक्त खसरो में मरुस्थलीय वनस्पति तथा कोरडी
के सघन वृक्ष, आल, खैजरी, कुम्भट, केर, खीप, गांगाणी,
सेवन घास (कम मात्रा में) आदि मौजूद हैं।

2. मौके पर उपस्थित ग्राम वादियों से पूछताछ करने पर उक्त
भूमि कई वर्षों से श्री इंगर पीर जी मोकला इंसार के
औरण के रूप में सुरक्षित रखी हुई है। उक्त 8 वर्गित
वृक्षों/झाड़ी को स्थानीय निवाधियों द्वारा लोक देवता की
भूमि औरण होने से कटार किए जाने पर पूर्णतया
प्रतिक्रम एवं पांबदी खेचछा से तगार गई है। अतः
उक्त वर्गित भूमि पर उपस्थित वनस्पतियां पूर्ण रूप से सुरक्षित
हैं। तथा परिवादी द्वारा मौके पर बताया गया कि उक्त
भूमि में वन्य जीव जन्तुओं, पशु पक्षियों को लोक देवता की
भूमि होने से किसी प्रकार का खतरा नहीं है एवं पूर्णतया
सुरक्षित है।

3. परिवादी द्वारा बताया गया कि उक्त वर्गित भूमि में कुल
मौ (9) छोटे-बड़े तालाब मौजूद हैं जो पैयजल स्रोत के

अक्ष

कुन्दन सिंह
जोकरा
सतनासि

प्राप्त
अक्ष

अक्ष
(40)

अक्ष
DNP

के रूप में काम आ रहे हैं।

4. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त वर्गित भूमि पर किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। जबकि उक्त भूमि पर लगभग 20 से 25 पवन चक्कियां संचालित हैं। जिस हेतु राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के आदेश दिनांक - 31/05/2016 के अनुसार पवन चक्कियों को सफेद श्रेणी (White Category) में वर्गीकृत किया गया है। जिन्हें राज्य मण्डल से संचालन सम्मति की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अवरुद्ध कराना होगा।

5. उक्त स्थल के अंदर किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि, खनन गतिविधि आदि नहीं पाये गये। तथा प्राकृतिक बाह्य क्षेत्र में भी किसी भी तरह का अवरोध नहीं पाया गया है। मौके पर किसी भी पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन नहीं पाया।

6. उक्त वर्गित भूमि में खेती योग्य भूमि है परन्तु पारिस्थितिक कारणों के कारण किसानों द्वारा खेती नहीं की जा रही है।

7. संलग्न सूची (परिषद - अ) में उल्लेखित समस्त खसरा नम्बरों की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वंजित, और मुमकिन मगरा, कारानी और मुमकिन खेवण दास, गै.मु. धान, एवं गै.मु. रास्ता यथासूची दर्ज है।

8. मौके पर उपस्थित परिवारी श्री कुन्दन सिंह द्वारा बताया गया कि भविष्य में उक्त भूमि और मुमकिन औरंग में दर्ज की जाए ताकि भूमि अन्य किसी को आवंटित नहीं की जा सके और वन्य जीवों एवं पशुओं के चारागाह के लिए सुरक्षित रहे।

9. मौके पर निरीक्षण के दौरान GPS फोटोग्राफ लिए गये। जिन्हें परिषद - ब में संलग्न किया गया है।

10. फर्द मौका दर्ज की उपस्थिति में पढा, सुना और हस्ताक्षर करवाये गये।

व्यक्ति

कुन्दन सिंह मोकल
9461444228
(परिवारी)

पवन मोहम्मद
श.प्र.नि.म. जोय

संजय कुमार
कृषि अधिकारी
लघु.नि.दे. कृषि,
जैसलमेर

(मानक लाल सुथार)
सहायक वन सुरक्षक
वन्य जीव जैसलमेर


11/05/2023
तहसीलदार
जैसलमेर

117

| स. क्र. | ग्राम का नाम | पटवारी हल्का | भू. अभि. नि. क्षेत्र | तहसील | जिला | भूमि धारक का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि वर्गीकरण |
|---------|--------------|--------------|----------------------|---------|---------|------------------|-------------|-----------|---------------|
| 1 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | | | बंजड |
| 2 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 344 | 16.9809 | बंजड |
| 3 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 344/802 | 0.2912 | बंजड |
| 4 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 345 | 18.243 | बंजड |
| 5 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 345/804 | 0.0809 | बंजड |
| 6 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 346 | 7.734 | बंजड |
| 7 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 346/806 | 6.5529 | बंजड |
| 8 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 347 | 18.5585 | बंजड |
| 9 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 347/997 | 3.0742 | बंजड |
| 10 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 353 | 10.873 | बंजड |
| 11 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 353/814 | 3.5596 | बंजड |
| 12 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 354 | 13.3161 | बंजड |
| 13 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 354/816 | 1.8202 | बंजड |
| 14 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 355 | 18.5827 | बंजड |
| 15 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 356 | 10.8811 | बंजड |
| 16 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 356/820 | 3.6081 | बंजड |
| 17 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 357 | 9.4248 | बंजड |
| 18 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 357/822 | 4.854 | बंजड |
| 19 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 358 | 15.7189 | बंजड |
| 20 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 358/824 | 0.7281 | बंजड |
| 21 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 359 | 24.3833 | बंजड |
| 22 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 360 | 25.2813 | बंजड |
| 23 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 365 | 19.0277 | बंजड |
| 24 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 366 | 25.2813 | बंजड |
| 25 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 367 | 25.2813 | बंजड |
| 26 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 368 | 25.2246 | बंजड |
| 27 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 369 | 25.2813 | बंजड |
| 28 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 370 | 25.2813 | बंजड |
| 29 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 371 | 25.2732 | बंजड |
| 30 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 372 | 25.2813 | बंजड |
| 31 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 373 | 24.1648 | बंजड |
| 32 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 374 | 15.735 | बंजड |
| 33 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 374/998 | 1.0031 | बंजड |
| 34 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 375 | 10.3714 | बंजड |
| 35 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 375/999 | 4.0045 | बंजड |
| 36 | मोकला | भादासर | रुपसी | जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान सरकार | 376 | 6.2697 | बंजड |
| | | | | | | | 376/1191 | 0.2912 | बंजड |



Photographs captured during the Joint inspection report in the matter of Original Application. O.A. No. 146/2023 Kundan Singh Vs State of Rajasthan & Ors



Photographs captured during the Joint inspection report in the matter of Original Application. O.A. No. 146/2023 Kundan Singh Vs State of Rajasthan & Ors



Photographs captured during the Joint inspection report in the matter of Original Application. O.A. No. 146/2023 Kundan Singh Vs State of Rajasthan & Ors



Latitude: 27.179561
Longitude: 70.774326
Elevation: 241.7±6 m
Accuracy: 4.5 m
Time: 11-05-2023 15:17
Note: Kundan singh case jsm mokla



Latitude: 27.153549
Longitude: 70.769792
Elevation: 251.34±12 m
Accuracy: 7.3 m
Time: 11-05-2023 15:25
Note: Kundan singh case jsm mokla

Photographs captured during the Joint inspection report in the matter of Original Application. O.A. No. 146/2023 Kundan Singh Vs State of Rajasthan & Ors